>

Title: Deferrement of the Enemy Property (Amendment and Validation Bill, 2010; Orissa (Alteration of Name) Bill, 2010 and the Constitution(One Hundred and Thirteenth Amendment) Bill, 2010 (Amendment of Eighth Schedule) .

MR. DEPUTY-SPEAKER: The House shall now take up Item No. 13. I call the Minister now.

...(*Interruptions*)

श्रीमती सुषमा स्वराज (विदिशा): उपाध्यक्ष महोदय, आइटम नम्बर 10 का क्या हुआ?

उपाध्यक्ष महोदय: कल इसका जवाब नहीं हुआ था, इसलिए आज मंत्री जी उसका जवाब दे रहे हैं।

श्रीमती सुषमा स्वराज : आइटम नम्बर दस में जो शत्रु संपत्ति विधेयक लगा हुआ है, उसका क्या हुआ? क्रम से आइटम नम्बर दस लेना चाहिए।

THE MINISTER OF HOME AFFAIRS (SHRI P. CHIDAMBARAM): Madam, I will respond to that.

Mr. Deputy-Speaker, Sir, this morning, the House is aware that some hon. Members raised some issues regarding the continuation of the discussion on the Enemy Property (Amendment and Validation) Act and the House had to be adjourned. This Act, of course, is a 1968 Act. The circumstances under which an Ordinance was promulgated is well-known to the hon. Members. It is stated in the Memorandum accompanying the Ordinance. After the Ordinance was promulgated and a Bill was introduced, some concerns were raised. We had extensive discussions. I can say without fear of contradiction that we had extensive discussions with many, many leaders and many Members of the House and some official amendments were introduced. This morning, after the House was adjourned, it was represented that Members would require more time to study the Ordinance along with the official amendments. Let me formulate their position. They say they want more time to study the Ordinance along with the official amendments and, therefore, they can take a more comprehensive view. After discussions we think that this is a reasonable request. Therefore, my submission to the House is that we will bring a fresh Bill incorporating the official amendments in the Bill in the next Session, and in the meanwhile whatever legal steps have to be taken will be taken by the Government.

श्रीमती सुषमा स्वराज : सर, मुझे इस पर कुछ कहना है।

उपाध्यक्ष जी, हमारे यहां जब से स्टेंडिंग कमेटियों का गठन हुआ है, तब से यह नियम और परम्परा बन गई है कि हर नया बिल जब प्रस्तुत किया जाता है या पुराने बिल में कोई संशोधन प्रस्तुत किया जाता है तो उस बिल को स्टेंडिंग कमेटी को भेजा जाता है। एकमात्र अपवाद इसमें है, जब अध्यादेश को बिल बनाने के लिए परिवर्तित किया जाता है। इस बार भी यह बिल एनिमी प्रोपर्टी बिल, शत्रु सम्पत्ति विधेयक अध्यादेश के रूप में आया था और अध्यादेश को बिल के रूप में बदलने के लिए आप यहां आये थे, इसलिए हमने यह आग्रह नहीं किया था कि यह बिल स्टेंडिंग कमेटी को जाये। हमने कहा था कि आप जब बिल लेकर के आएंगे, हम अपनी बात वहां रखेंगे और उसके बाद इस बिल को हम मूल रूप में पारित करने के लिए तैयार थे, लेकिन इसके साथ ही सरकारी तौर पर कुछ एमेंडमेंट, कुछ सरकारी संशोधन प्रस्तुत कर दिये गये और वे संशोधन बिल के मूल चरित्र को ही बदल रहे हैं, इसलिए हम लोगों ने यह कहा कि हम इस बिल को संशोधन के साथ पारित नहीं करेंगे।

आज जो बात आपने कही है, उसमें एक चक्र है, उसमें एक कैच है। मैं वह कैच आपसे पूछना चाहती हूं। आप यह चाहते हैं कि लोग ज्यादा समय इन संशोधनों पर चर्चा करें, इसलिए यह बिल नया बन गया है तो इन संशोधनों के साथ आप एक बिल स्टेंडिंग कमेटी को रैफर कर रहे हैं, लेकिन आपने कहा कि आप विंटर सैशन में बिल लाएंगे तो कहीं ऐसा तो नहीं कर रहे कि इस अध्यादेश को लैप्स होने देकर एक नया आर्डिनेंस इन्हीं संशोधनों के लिए रीप्रोमलगेट कर रहे हैं। अगर आप वह कर रहे हैं तो हम उसका विरोध करेंगे। वह आपकी नीयत का खोट है, आपकी नीयत में खोट है। इसलिए मैं कहना चाहती हूं, मंत्री महोदय सीधा-सीधा बतायें, अगर आप यह चाहते हैं, आपको कुछ सदस्यों ने यह कहा है कि वह बिल के साथ जो संशोधन आपने दिये हैं, उन पर ज्यादा पढ़ना चाहते हैं तो एक ही तरीका है कि इस बिल को संशोधनों के साथ आप स्टेंडिंग कमेटी को रैफर कर दीजिए। वहां इन संशोधनों की कानूनी जांच भी हो जायेगी और इस पर विस्तृत चर्चा भी हो जायेगी। अगर संशोधनों के साथ बिल...(व्यवधान)

उपाध्यक्ष महोदय : कृपया चुप हो जायें, शान्त रहें।

श्रीमती सुषमा स्वराज : अगर संशोधनों के साथ संशोधित नया बिल स्टेंडिंग कमेटी को जाता है तो हम आपके साथ हैं, क्योंकि स्टेंडिंग कमेटी में इसके कानूनी पहलुओं की चर्चा भी होगी, जो स्टेक होल्डर्स हैं, उनकी सुनवाई भी होगी और हमें भी अपनी पूरी बात कहने का मौका मिलेगा। स्टेंडिंग कमेटी की रिपोर्ट के बाद जब बिल आयेगा, जिस भी रूप में आयेगा, हम अपनी बात रखेंगे। अगर आप स्टेंडिंग कमेटी को इन संशोधनों के साथ बिल भेज रहे हैं, जो आपने कहा है कि लोग ज्यादा समय चाहते हैं तो ज्यादा समय स्टेंडिंग कमेटी में मिल जायेगा। लेकिन आपका कैच तब आया, जब आपने कहा कि हम नया बिल शीतकालीन सत्र में लाएंगे, विंटर सैशन में लाएंगे तो बीच में क्या करेंगे? बीच में अगर आप इसे संशोधनों के साथ या इससे भी खराब संशोधनों के साथ कोई आर्डिनेंस रीप्रोमलगेट करना चाहते हैं और नया अध्यादेश लाना चाहते हैं तो यह आपकी नीयत में खोट झलकता है और मैं यहां कहना चाहती हूं कि हम उसका पुरजोर विरोध करेंगे। आप खुलकर बताइये

कि आपकी मंशा क्या है?...(व्यवधान)

डॉ. रघुवंश प्रसाद सिंह (वैशाली): उपाध्यक्ष महोदय, इस पर हम एतराज करते हैं। शतु सम्पत्ति नाम बदलकर इवैक्वी प्रोपर्टी एक्ट इसका नाम होना चाहिए। शतु सम्पत्ति अतार्किक और गलत नाम है, उसको बदल दिया जाये और इवैक्वी प्रोपर्टी उसको नाम दिया जाये।...(व्यवधान)

15.00 hrs.

SHRI P. CHIDAMBARAM : With great respect, there is no need to widen the debate now. I take note of the issues raised by the hon. Leader of the Opposition. I have great respect for her views. Legislations is proposed by Government – when hon. Members point out that they want more time to study the legislation, we think, it is reasonable. Therefore, we would bring forward, as I said, a Bill that incorporates these official amendments, which have been discussed extensively, in the manner in which consultations take place outside the House with Leaders of Parties. So, there is nothing new about it. There is nothing surreptitious about it. We discussed with everybody. Now, what should be done between now and the time when we are able to bring a new Bill incorporating amendments is a matter which the Government would consider, and certainly, we would keep in mind whatever the Leader of the Opposition said but I do not have to answer, I submit with respect, hypothetical issues. ...(*Interruptions*)

श्री लाल कृष्ण आडवाणी (गांधीनगर): जो बात गृहमंत्री जी ने अभी कही, उसमें महत्वपूर्ण बात यह है कि स्टैंडिंग कमेटीज के बनने के बाद यह एक परम्परा बनी हुयी है कि जब कोई भी नया विधेयक आता है और विशेषकर ऐसा विधेयक जो महत्वपूर्ण है, जिसमें दो मत हो सकते हैं, तो अनिवार्य रूप से वह स्टैंडिंग कमेटी को जाता है। इसी कारण इसको स्टैंडिंग कमेटी के पास नहीं भेजा था, लेकिन आपने जो बात अभी कही, उससे लगता है कि अभी का जो आर्डिनेंस है, उसको तो लैप्स करने देना चाहते हैं, क्योंकि यह सभी को पता है कि अगर विधेयक नहीं आएगा, तो यह लैप्स हो जाएगा। लैप्स हो जाएगा, तो उसके बाद क्या करेंगे, यह हम नहीं जानते हैं, इसीलिए यह सवाल पूछा गया था कि क्या आप ये जो संशोधन किए गए हैं, उस स्वरूप में फिर से आर्डिनेंस लाने वाले हैं। If you do not reply to this, it only shows that the Government is determined to see that the law relating to this does not go to the Standing Committee. This is not right. Therefore, that she asked you very specifically, do you intend to bring this – because for all practical purposes, these amendments that you have proposed now undo the Ordinance, practically, and I am surprised because I was told that in this case, it was not only the *Rashtrapati* issuing a formal Ordinance but she, the people who met her, she discussed the matter with them also, and she said that this is the right Ordinance – I am sorry, I do not want to refer to that – but basically, I feel that this would be the first time, an Ordinance has been brought and the Bill to replace it is not being moved and basic amendments which change the nature of the Ordinance was being moved but now you don't propose move even that. I wish you come out clearly what do you intend to do.

SHRI P. CHIDAMBARAM: I think, we are looking for ghost where none reside actually. The point is, there was an Ordinance. Official amendments have been proposed after extensive consultation with every Leader of the House of different parties. Now, some leaders say, they want more time to look at it. What is unreasonable about it? In the meanwhile, what needs to be done, Government would reflect on what needs to be done and will take whatever steps need to be done in the meanwhile. Therefore, I do not think there is any need to harbour any suspicion or ill-will. We will come back to this House with whatever we have to bring to the House. ...(*Interruptions*)

श्री लालजी टण्डन (लखनऊ): उपाध्यक्ष महोदय, 25 हजार करोड़ की संपत्ति है। ...(व्यवधान)

उपाध्यक्ष महोदय : यह हो गया।

â€¦(व्यवधान)

उपाध्यक्ष महोदय : इसका कोई निर्णय तो नहीं हुआ न।

â€¦(व्यवधान)

संसदीय कार्य मंत्री और जल संसाधन मंत्री (श्री पवन कुमार बंसल): इस पर बहस नहीं हो रही है। ...(व्यवधान)

उपाध्यक्ष महोदय : जब बहस होगी, तब आप अपनी बात कहिएगा।

श्री पवन कुमार बंसल : अभी इस पर चर्चा नहीं हो रही है।

उपाध्यक्ष महोदय : जब इस पर बहस होगी, तब बोलिएगा।

â€¦(व्यवधान)

उपाध्यक्ष महोदय : जब बहस होगी, तब बोलिएगा। अभी तो बिल ही नहीं आ रहा है, बैठ जाइए।

â€¦(व्यवधान)

श्री शैलेन्द्र कुमार (कौशाम्बी): उपाध्यक्ष जी, अगर यह बोलेंगे, तो इधर से भी बोला जाएगा। ...(व्यवधान)

उपाध्यक्ष महोदय : आप बैठ जाइए।

â€¦(व्यवधान)

श्री शैलेन्द्र कुमार : अगर उधर से बोलेंगे तो इधर से भी बोलेंगे। आप हमें भी समय दीजिएगा। ...(व्यवधान)

उपाध्यक्ष महोदय : कोई नहीं बोलेगा। आप बैठ जाइए।

â€¦(व्यवधान)

श्री लालजी टण्डन : मान्यवर, आप मेरी बात सुन लीजिए।...(व्यवधान)

SHRI PAWAN KUMAR BANSAL : Leader of the Opposition and Shri Advani ji have both expressed their views. Let us move forward now. ...(*Interruptions*)

श्री शैलेन्द्र कुमार : इनके बोलने के बाद हमें भी बोलने का मौका दीजिए। ...(व्यवधान)

श्री पवन कुमार बंसल : महोदय, फिर वही शुरू हो जाएगा।...(व्यवधान)

उपाध्यक्ष महोदय : जब बिल नहीं आ रहा है तो उस पर बोलने की क्या जरूरत है। जब बिल आएगा तब हम बात करेंगे।

â€¦(व्यवधान)

उपाध्यक्ष महोदय : आप बैठ जाइए।

â€¦(व्यवधान)

SHRI PAWAN KUMAR BANSAL: I have to make a submission regarding Item Nos.11 and 12 – those which are listed here regarding change in the name of the State and the language. Some hon. Members from Orissa had represented that there is a rethink on this matter on their part. Itwas, in fact, required that we should put it off for the time being. Therefore, we decided that we would take it up in the next Session. Therefore, I request that we may go to item No.13.